उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8

/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 देहरादून, दिनांक :: 10 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं० ०६ वर्ष 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 सितंबर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) तथा खंड (घ) के अधीन उपबन्ध विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात :--

- (क) कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय:
 - (एक) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या
 - (दो) किसी सरकार द्वारा स्थापित.

किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ;

- (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;
- (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परंतु यह की उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा ।

> (राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0⁹/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्तं अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3— विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5- एन०आई०सी०

6- गार्ड फाईल हेत्।

अन् सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.9/9 / 2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated/O November, 2017 for general information

Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.919/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dehradun, Dated:: //>// November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor is pleased to allow to appoint the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51 of the said Act, under clause (a), clause (b) and clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified, namely:-

- (a) an authority or a board or any other body, -
 - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

- (b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the State Government.

(Radha Raturi) Principal Secretary

 λ